रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 610] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 20, 2015/फाल्गुन 29, 1936

No. 610] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 20, 2015/PHALGUNA 29, 1936

विधि और न्याय मंत्रालय

(न्याय विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 मार्च, 2015

का.आ. 803(अ).—केन्द्रीय सरकार, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 39) की धारा 22ग की उप-धारा (1) के तीसरे परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) तारीख 15 सितम्बर, 2011 में, भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय (विधि कार्य विभाग) की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2083(अ), तारीख 15 सितम्बर, 2011 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना का अधिक्रांत करते हुए, केन्द्रीय प्राधिकरण के परामर्श से, स्थायी लोक अदालत की अधिकारिता को अवधारित करने के प्रयोजन के लिए राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से विवाद की संपत्ति के मूल्य की सीमा को "एक करोड़ रुपए तक" बढ़ाती है।

[फा. सं. ए-60011/37/2004-प्रशा.-III (एल.ए.पी.)-न्या.]

प्रवीण गर्ग, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Department of Justice)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th March, 2015

S.O. 803(E).—In exercise of the powers conferred by the third proviso to sub-section (1) of section 22C of the Legal Services Authorities Act, 1987 (39 of 1987) and in supersession of the Government of India, Ministry of Law and Justice (Department of Legal Affairs) notification number S.O. 2083 (E), dated the 15th September, 2011, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 15th September, 2011, the Central Government, in consultation with the Central Authority, hereby increases the limit of the value of the property in duspute for the purpose of determining the jurisdiction of Permament Lok Adalat to "one crore rupees" with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[F. No. A-60011/37/2004-Admn.-III (LAP)-JUS]

PRAVEEN GARG, Jt. Secy

1315 GI/2015

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054